

Witness No.03... .. For अभियोजन साक्षी Deposition taken the 13-03-2024 Day of बुधवार Witness's apparent age... 25 yrs Sates on affirmation शपथपूर्वक my name is नरेश कुमार यादव Son of shri खेमसिंह यादव occupation. व्यवसाय Address-ग्राम-रानीसागर, थाना-खरसिया, रायगढ़

समय 12.20 से 12.30 पी.एम.

शपथपूर्वक कथन

1/ मैं न्यायालय उपस्थित आरोपीगण को पहचानता हूँ। आरोपीगण मेरे पड़ोस के ग्राम के रहने वाले हैं, इसलिये उन्हें पहचानता हूँ।

2/ घटना के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। घटना के संबंध में मैंने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था।

टीप – इसी स्तर पर अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने की अनुमति चाही गई, बाद विचार अनुमति दी गई।

3/ साक्षी को उसका पुलिस कथन प्रपी 10 के अ से अ भाग का कथन “दिनांक 10.10.2022.....मेरा कथन है।” पढ़कर सुनाये जाने पर ऐसा कथन देने से इंकार किया। यह कहना गलत है कि मैं न्यायालय में सही बात नहीं बता रहा हूँ।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री रामखिलावन जायसवाल अधिवक्ता वास्ते आरोपी

4/ यह कहना सही है कि आरोपीगण मेरे आसपास गाँव के हैं, इसलिये आरोपीगण जानता हूँ। यह कहना सही है कि पुलिस के द्वारा प्रपी 10 मेरा बयान लेखबद्ध किये हैं, वह झूठा एवं गलत है।

5/ यह कहना सही है कि पुलिस के द्वारा मुझसे कोई पुछताछ या बयान लेखबद्ध नहीं कराया था। यह कहना सही है कि मैं आज पहली बार न्यायालय में बयान दे रहा हूँ। यह कहना सही है कि आरोपीगण को आज न्यायालय में पहली बार देख रहा हूँ।

वाचित, सत्य स्वीकृत

सही/—

(दीप्ती बरवा)

मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

खरसिया, रायगढ़ (छ0ग0)

मेरे निर्देशानुसार टंकित

सही/—

(दीप्ती बरवा)

न्या.मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

खरसिया, रायगढ़ (छ0ग0)

Witness No.02... .. For अभियोजन साक्षी Deposition taken the
13-03-2024 Day of बुधवार Witness's apparent age... 30 yrs
Sates on affirmation शपथपूर्वक my name is राजेन्द्र कुमार साहु Son of shri
पालुराम साहु occupation..राजमिस्त्री Address-ग्राम-बानीपाथर, थाना-खरसिया,
रायगढ़

समय 12.10 से 12.20 पी.एम.

शपथपूर्वक कथन

- 1/ मैं न्यायालय उपस्थित आरोपी राहुल कुमार साहु को पहचानता हूँ, शेष आरोपीगण को नहीं पहचानता हूँ। आरोपी राहुल कुमार साहु मेरे ग्राम बानीपाथर का रहने वाला है, इसलिये उसे पहचानता हूँ।
- 2/ आज से लगभग साल भर पूर्व आरोपीगण को पुलिस वाले पकड़े थे, इसलिये मैं उनसे मिलने थाना खरसिया गया हुआ था। थाना में पुलिस वाले मुझसे कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाये थे।
- 3/ पुलिस वाले के कहने पर मैंने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किया था। पुलिस वाले मेरे समक्ष कोई कार्यवाही नहीं किये थे। पुलिस वाले मेरे समक्ष आरोपीगण का बयान दर्ज नहीं किये थे ना ही मेरे समक्ष कोई जप्ती की कार्यवाही की गयी थी।
- 4/ धारा 160 का नोटिस प्रपी 1, मेमोरण्डम बयान प्रपी 2 एवं 4, जप्ती पत्रक प्रपी 3, 5 एवं 6, गिरफ्तारी पत्रक प्रपी 7, 8 एवं 9 है, जिनके ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। घटना के संबंध में मैंने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था।

टीप — इसी स्तर पर अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने की अनुमति चाही गई, बाद विचार अनुमति दी गई।

5/ यह कहना गलत है कि पुलिस वाले मेरे समक्ष आरोपी टेकलाल पटेल एवं सिध्देश्वर उर्फ शिवा वैष्णव का मेमोरण्डम बयान प्रपी 2 एवं 4 अनुसार दर्ज किये थे।

6/ यह कहना गलत है कि आरोपीगण की निशानदेही पर पुलिस वाले मेरे समक्ष चोरीशुदा सामान जप्त किये थे। यह कहना गलत है कि मैं न्यायालय में सही बात नहीं बता रहा हूँ।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री रामखिलावन जायसवाल अधिवक्ता वास्ते आरोपी

7/ यह कहना सही है कि पुलिस वाले मुझे कोरे कागज पर हस्ताक्षर करवाये थे। यह कहना सही है मैं जिस समय हस्ताक्षर किया था उस समय आरोपी उपस्थित नहीं था। यह कहना सही है कि मेरे समक्ष कोई भी कार्यवाही प्रपी 1, मेमोरण्डम बयान प्रपी 2 एवं 4, जप्ती पत्रक प्रपी 3, 5 एवं 6, गिरफ्तारी पत्रक प्रपी 7, 8 एवं 9 नहीं हुई है।

8/ यह कहना सही है जिस समय पुलिस वाले मुझे कोरे कागज पर हस्ताक्षर कराये उन कागजातो पर मेरे अलावा अन्य कोई व्यक्ति ने हस्ताक्षर नहीं किया था। मुझे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

9/ यह कहना सही है कि राहुल मेरे गाँव का है, इसलिये जानता पहचानता हूँ। यह कहना सही है कि आरोपीगण को आज पहली बार न्यायालय में देख रहा हूँ, इसके अतिरिक्त मैंने आरोपीगण को थाने में या अन्य स्थान में नहीं देखा है।

10/ पुलिस ने मुझे कोई नोटिस नहीं दिया था। पुलिस के द्वारा मेरे समक्ष कोई कार्यवाही नहीं की थी। यह कहना गलत है कि आरोपी को झूठा फसांने के लिये झूठा कथन कर रहा हूँ।

वाचित, सत्य स्वीकृत

सही/—

(दीप्ती बरवा)

मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

खरसिया, रायगढ़ (छ0ग0)

मेरे निर्देशानुसार टंकित

सही/—

(दीप्ती बरवा)

न्या.मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

खरसिया, रायगढ़ (छ0ग0)

Witness No.01... .. For अभियोजन साक्षी Deposition taken the
13-03-2024 Day of बुधवार Witness's apparent age... 37 yrs
Sates on affirmation शपथपूर्वक my name is श्यामसुंदर बरेठ Son of shri
जगराम बरेठ. occupation..दुकान Address-ग्राम-बानीपाथर, थाना-खरसिया,
रायगढ़

समय 12.00 से 12.20 पी.एम.

शपथपूर्वक कथन

- 1/ मैं न्यायालय उपस्थित आरोपी राहुल कुमार साहु को पहचानता हूँ, शेष आरोपीगण को नहीं पहचानता हूँ। आरोपी राहुल कुमार साहु मेरे ग्राम बानीपाथर का रहने वाला है, इसलिये उसे पहचानता हूँ।
- 2/ आज से लगभग साल भर पूर्व आरोपीगण को पुलिस वाले पकड़े थे, इसलिये मैं उनसे मिलने थाना खरसिया गया हुआ था। थाना में पुलिस वाले मुझसे कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाये थे।
- 3/ पुलिस वाले के कहने पर मैंने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किया था। पुलिस वाले मेरे समक्ष कोई कार्यवाही नहीं किये थे। पुलिस वाले मेरे समक्ष आरोपीगण का बयान दर्ज नहीं किये थे ना ही मेरे समक्ष कोई जप्ती की कार्यवाही की गयी थी।
- 4/ धारा 160 का नोटिस प्रपी 1, मेमोरण्डम बयान प्रपी 2 एवं 4, जप्ती पत्रक प्रपी 3, 5 एवं 6, गिरफ्तारी पत्रक प्रपी 7, 8 एवं 9 है, जिनके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। घटना के संबंध में मैंने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था।

टीप — इसी स्तर पर अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने की अनुमति चाही गई, बाद विचार अनुमति दी गई।

5/ यह कहना गलत है कि पुलिस वाले मेरे समक्ष आरोपी टेकलाल पटेल एवं सिध्देश्वर उर्फ शिवा वैष्णव का मेमोरण्डम बयान प्रपी 2 एवं 4 अनुसार दर्ज किये थे।

6/ यह कहना गलत है कि आरोपीगण की निशानदेही पर पुलिस वाले मेरे समक्ष चोरीशुदा सामान जप्त किये थे। यह कहना गलत है कि मैं न्यायालय में सही बात नहीं बता रहा हूँ।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री रामखिलावन जायसवाल अधिवक्ता वास्ते आरोपी

7/ यह कहना सही है कि पुलिस वाले मुझे कोरे कागज पर हस्ताक्षर करवाये थे। यह कहना सही है मैं जिस समय हस्ताक्षर किया था उस समय आरोपी उपस्थित नहीं था। यह कहना सही है कि मेरे समक्ष कोई भी कार्यवाही प्रपी 1, मेमोरण्डम बयान प्रपी 2 एवं 4, जप्ती पत्रक प्रपी 3, 5 एवं 6, गिरफ्तारी पत्रक प्रपी 7, 8 एवं 9 नहीं हुई है।

8/ यह कहना सही है जिस समय पुलिस वाले मुझे कोरे कागज पर हस्ताक्षर कराये उन कागजातो पर मेरे अलावा अन्य कोई व्यक्ति ने हस्ताक्षर नहीं किया था। मुझे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

9/ यह कहना सही है कि राहुल मेरे गाँव का है, इसलिये जानता पहचानता हूँ। यह कहना सही है कि आरोपीगण को आज पहली बार न्यायालय में देख रहा हूँ, इसके अतिरिक्त मैंने आरोपीगण को थाने में या अन्य स्थान में नहीं देखा है।

10/ पुलिस ने मुझे कोई नोटिस नहीं दिया था। पुलिस के द्वारा मेरे समक्ष कोई कार्यवाही नहीं की थी। यह कहना गलत है कि आरोपी को झूठा फसांने के लिये झूठा कथन कर रहा हूँ।

वाचित, सत्य स्वीकृत
सही/—
(दीप्ती बरवा)
मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
खरसिया, रायगढ़ (छ0ग0)

मेरे निर्देशानुसार टंकित
सही/—
(दीप्ती बरवा)
न्या.मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
खरसिया, रायगढ़ (छ0ग0)